This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 31 मई, 2025 / 10 ज्येष्ठ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 **मई,** 2025

संख्याः Ind-B(F) 6-31/2016-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 ख और 15 क के साथ पठित धारा 15

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-B-F(6)-31/2016, तारीख 22-08-2016 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27-08-2016 को प्रकाशित और अधिसूचना संख्या इंड-II (एफ) 10-7/2018 तारीख 28-10-2020 तथा संख्या इंड-बी(एफ) 6-31/2016-II तारीख 10-12-2022 द्वारा और संशोधित हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश जिला खनिज **संस्थान** न्यास नियम, 2016 (**निन्हें इसमें** इसके **पश्चात्** 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम **2** में,—

(क) उप-नियम (1) में खंड (ख) के नीचे स्पष्टीकरण में उप-खंड (i) में मद (ख) के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) हिमाचल प्रदेश में **सम्बद्ध** जिला सीमाओं को विचार में लाए बिना किसी खान या खानों के समूह (क्लस्टर) से पंद्रह किलोमीटर की परिधि के भीतर का कोई क्षेत्र;"

(ख) उप-नियम (1) के खंड (ख) के नीचे स्पष्टीकरण के उप-खंड (i) में, **मद** (घ) के **पश्चात्,** निम्नलिखित नई **मद** (ङ) अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(ङ) प्रमुख खनिज खदानों के मामलों में, वे ग्राम, ग्राम पंचायतें या शहरी स्थानीय निकायो (यूएलबीएस), जिनमें खदानें स्थित और परिचालित हैं, ऐसे खनन क्षेत्र समीपवर्ती ग्रामों, खण्डों, जिलों या अन्य राज्य तक विस्तारित हो सकेंग।

परंतु यदि एक जिले में किसी खदान का प्रभावित क्षेत्र किसी अन्य जिले के अधिकार क्षेत्र में भी आता है (यहाँ तक कि अन्य राज्य में) तो प्रभावित क्षेत्रों के अनुपात में संस्थान द्वारा एकत्र की गई रकम की ऐसी प्रतिशतता ऐसे क्षेत्रों में क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित अन्य जिला के संस्थान को स्थानांतरित की जाएगी। कोई भी ऐसी परियोजना जो प्रभावित क्षेत्र/लोगों के फायदे के लिए हो किंतु जो जिले की भौगोलिक सीमा से बाहर जाती हो, उसे 'प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना' (पीएमकेकेकेवाई) के अंतर्गत राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लेने के **पश्चात्,** हि आरम्भ की जानी चहिए।"

(ग) उप-नियम (1) में खंड (ख) के नीचे स्पष्टीकरण में उप-खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) "अप्रत्यक्षः प्रभावित क्षेत्र" से, हिमाचल प्रदेश के **सम्बद्ध** जिला की सीमाओं को विचार में लाए बिना, किसी खान या खानों के समूह से पंद्रह किलोमीटर से **पच्ची** किलोमीटर की परिधि के भीतर के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहाँ कि स्थानीय जनसंख्या की खनन संबंधी संक्रियाओं के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूलतः प्रभावित होती है। खनन का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव, जल प्रदूषण, मृदा और वायु की गुणवत्ता का अपकर्षण, नदियों के बहाव में कमी और भूगर्भ जल का कम होना और खनन संक्रियाओं के कारण जमाव और प्रदूषण, खनिजों का परिवहन, विद्यमान अवसंरचना और संसाधनों पर वर्धित भार है" ।

(घ) उप-नियम (1) में खंड (ख) के नीचे स्पष्टीकरण में उप-खंड (iii) के **पश्चात्,** निम्नलिखित नया उप-खंड (iv) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) जिला खनिज संस्थान (डी. एम.एफ.एफ.) ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची तैयार करेगा तथा उसका **अनुसरण करेगा**"।

(ङ) उपनियम (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित **रखा** जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) निम्नलिखित में "प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति" **सम्मिलित** होंगे:—

(क) (i) **''प्रभावित कुटुम्ब'' से** भूमि **अर्जन**, पुनर्वासन और **पुनर्व्यवस्थापन** में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3(ग) के **अधीन** यथा परिभाषित **अभिप्रेत है;**

(ii) **''विस्थापित कुटुम्ब'' से** भूमि **अर्जन**, पुनर्वासन और **पुनर्व्यवस्थापन** में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3(ट) **में यथा** परिभाषित **अभिप्रेत है;**

(iii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में संबंधित ग्राम **सभा / शहरी स्थानीय निकाय** (यूएलबी) द्वारा उचित रूप से पहचाने गए **अन्य** कोई **क्षेत्र**।

(ख) खनन से प्रभावित व्यक्तियों में वे **व्यक्ति भी सम्मिलित** होने चाहिए जिनके पास **फलोपभोग और परंपरागत अधिकारों सहित खनित की जा रही भूमि पर विधिक और उपजीविकाजन्य अधिकार है, और जिनकी आजीविका खनन के कारण प्रभावित हुई है।**

(ग) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित कुटुम्बो की पहचान, जहाँ तक संभव हो, ग्राम सभा/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से की जानी चाहिए।

(घ) जिला खनिज संस्थान (डी.एम.एफ.) ऐसे प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की **अद्यतन** सूची तैयार करेगा और उसे अनुरक्षण करेगा। सूची को प्रत्येक पाँच वर्षों में कम से कम एक बार अद्यतन की जाएगी।

3. नियम 8-क का अंत:स्थापन.–उक्त नियमों के नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 8-क अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"8 क. पांच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना- समस्त प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को व्यवस्थित और **समयबद्ध** तरीके से व्यासि देने के लिए दीर्घकालिक योजना आवश्यक है। जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) निधियों का उपयोग करने हेतु कार्यों के कार्यान्वयन के लिए निधियों के उचित उपयोग के लिए:

(i) जिलों को परिप्रेक्ष्य योजना निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों, प्रख्यात संगठनों/अभिकरणों के माध्यम से एक आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करना होगा। ग्राम सभा/स्थानीय निकाय आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकेंगे। डीएमएफ किसी भी विभाग द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण का भी उपयोग कर सकेंगे, यदि उपलब्ध हो। सर्वेक्षणों के संदर्भ और प्रमुख निष्कर्षों को जिले के लिए पी.एम.के.के.के.वाई. के अंतर्गत परिप्रेक्ष्य योजनाओं में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(ii) बेसलाइन सर्वेक्षण या ऐसे किसी सर्वेक्षण/मूल्यांकन के माध्यम से पहचाने गए निष्कर्षों और कमियों के आधार पर, डीएमएफ पांच वर्षों के लिए एक रणनीति तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल किया जाएगा। पांच वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना पांच वर्ष की अवधि में डीएमएफ में उपलब्ध वर्तमान शेष राशि और संभावित उपार्जन को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। पांच वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना को वर्षवार कार्य योजनाओं में विभाजित किया जाएगा।

(iii) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना में सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण आदि तथा अन्य क्षेत्रों जैसे सड़क, सिंचाई आदि पर अलग-अलग खंड होंगे।

(iv) पांच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को डीएमएफ की शासी परिषद **द्वारा** अनुमोदित किया जाएगा और डीएमएफ की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(v) डीएमएफ की वार्षिक योजनाएं जिन्हे प्रत्येक वर्ष गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, पांच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और पिछले वर्षों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में प्राप्त सफलता पर आधारित होंगी। वार्षिक योजनाओं में कुछ अन्य कार्य और व्यय शामिल हो सकते हैं, जिन्हें तत्काल प्रकृति का माना जाता है, तथापि उन्हे परिप्रेक्ष्य योजना में वार्षिक योजना के अधिकतम 10 प्रतिशत तक शामिल नहीं किया गया है।

(vi) राज्य सरकार आधारभूत सर्वेक्षण करने तथा पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित संगठन/एजेंसियों/**विश्वविद्यालयों** को पैनल में शामिल कर सकेगी।

(vii) शासी परिषद पाँच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना को मंजूरी देगी जिसमें वित्तीय वर्षों में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की सूची शामिल होगी।

4. नियम 12-क का **अंतस्थापन**.–उक्त नियम के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 12- क **अंतस्थापित** किया जाएगा, अर्थात्:—

राज्य स्तरीय निगरानी समिति:

(1) राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय निगरानी समिति" गठित की जाएगी, जिसमें **कार्यकारी** विभागों, वित्त एवं योजना विभाग के सचिव तथा **खान मंत्रालय,** भारत सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य **के रूप में शामिल होंगे।**

(2) भूविज्ञान एवं **खनन** विभाग या राज्य में डीएमएफ का पर्यवेक्षण करने के लिए **नियुक्त** किसी अन्य विभाग का सचिव "राज्य स्तरीय निगरानी समिति" के सदस्य सचिव **होंगे**।

(3) भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय या राज्य सरकार **द्वारा** सौंपा गया कोई भी निदेशालय राज्य में डीएमएफ की गतिविधियों की निगरानी के लिए "राज्य स्तरीय नोडल डीएमएफ प्रकोष्ठ" नामक एक प्रकोष्ठ का गठन करेगा और राज्य स्तरीय निगरानी समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

(4) राज्य स्तरीय निगरानी समिति के कार्य:—राज्य स्तरीय निगरानी समिति डीएमएफ के प्रदर्शन और पारदर्शिता मानदंडों के अनुपालन, डीएमएफ की लेखा परीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट की निगरानी करेगी।

(5) राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

5. नियम 15 का प्रतिस्थापन.—उक्त नियमों के नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"15. न्यास निधि से व्यय—

(1) न्यास निधि का उपयोग मुख्यत: खनन या खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के फायदे के लिए तथा उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किया जाएगा। निधियों को यथासंभव प्रत्येक खदान के योगदान के अनुपात में आवंटित किया जाएगा। पीएमकेकेकेवाई के तहत की जाने वाली विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियां, जहाँ तक संभव हो, राज्य और केंद्र सरकार **द्वारा** वित्त पोषित चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक की प्रकृति की होनी चाहिए। 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है सिद्धांत के तहत की जाने वाली गतिविधियों को पीएमकेकेकेवाई के तहत नहीं उठाया जाना चाहिए। हालांकि, संस्थान की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य और जिले के साथ अभिसरण प्राप्त करने के प्रयास किए जायेंगे। योजनाएँ इस प्रकार बनाईं जाएँ कि संस्थान द्वारा की जाने वाली गतिविधियां विकास और कल्याणकारी गतिविधियों की पूरक हों और उन्हें राज्य योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय समाधान माना जाए। डीएमएफ खनन प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए चल रही केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान

केंद्रित करेगा। योजनाएं तैयार करते समय, डीएमएफ आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्राथमिकता देंगे।

(2) न्यास निधि की एक वर्ष में प्राप्त होने वाली संभावित कुल राशि को निम्नलिखित प्रयोजनों लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा:—

(क) वार्षिक प्राप्तियों के 10% के बराबर राशि स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए बंदोबस्ती निधि के रूप में रखी जानी चाहिए। 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक वार्षिक संग्रह वाले जिलों को बंदोबस्ती निधि बनाए रखनी चहिए। बंदोबस्ती निधि को सरकारी प्रतिभूतियों/बोंडों और अनुसूचित बैंकों की एफ़डी और अन्य साधनों में निवेश किया जा सकेगा। बंदोबस्ती निधि का उपयोग उन क्षेत्रों में आजीविका बनाने और बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए जहां किसी भी कारण से खनन गतिविधि बंद हो गई है, जिसमे खनिज की कमी भी शामिल है;

(ख) संस्थान की वार्षिक प्राप्तियों के 5% से अधिक राशि का उपयोग संस्थान की प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और ऊपरी लागतों के लिए नहीं किया जा सकेगा जहां तक संभव हो, जिला खनिज संस्थान के तहत कोई अस्थायी/स्थायी पद नहीं बनाए जाने चाहिए। संस्थान द्वारा अस्थायी/स्थायी पदों के सृजन और वाहन की खरीद के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। हालाँकि, न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर लगाया जा सकता है। जिला खनिज संस्थान की क्षमता बढ़ाने और जिला खनिज संस्थान निधि के प्रभावी उपयोग के लिए, 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक संग्रह वाले जिला खनिज संस्थान को योजना, तकनीकी, लेखा और निगरानी सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करनी होगी और ऐसे पीएमयू की लागत प्रशासनिक खर्चों से पुरी की जा सकती है। पीएमयू अनुबंध के आधार पर आवश्यक योग्य जनशक्ति को लगा सकेगा। पीएमकेके वाई के अधीन व्यक्ति केवल संविदात्मक आधार पर केवल सीमित अवधि के लिए ही लगाए जाएंगे।

(ग) जिला खनिज संस्थान न्यास में कुल वार्षिक प्राप्ति का 70% केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के तहत निम्नानुसार खर्च किया जाएगा:—

(i) पेयजल आपूर्ति.—केन्द्रीकृत शुद्धिकरण प्रणालियाँ, जल उपचार संयंत्र, पेयजल के लिए सटैंडअलोन सुविधाओं सहित स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, पाइप जलापूर्ति प्रणाली बिछाना।

(ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय—अपशिष्ट उपचार संयंत्र, बाढ़ सुरक्षा कार्यों सहित क्षेत्र में धारा, झीलो, तालाबो, भूजल, अन्य जल संसाधनों के प्रदूषण की रोकथाम, खनन कार्यों और डंपों के कारण होने वाले वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खान प्रदूषण रोकथाम **प्रौद्योगिकियां** और पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खान विकास के लिए आवश्यक **परित्यक्त** खानों और अन्य वायु, जल और सतह प्रदूषण नियंत्रण तंत्र पर काम करने के उपाय।

(iii) स्वास्थ्य देखभाल। प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/**द्वितीयक** स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जोर केवल स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आवश्यक स्टाफिंग, उपकरण और आपूर्ति के प्रावधान पर भी होना चाहिए। ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए, इस सीमा तक प्रयास स्थानीय निकायों, राज्य और केंद्र सरकार के मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के साथ पूरक और अभिसरण में काम करना चाहिए। खनन से संबंधित बीमारियों और रोगों की देखभाल के लिए आवश्यक विशेष बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने के लिए राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान के पास उपलब्ध विशेषज्ञता/ पुंजी का भी उपयोग किया जा सकेगा। खनन प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए समूह बीमा योजना लागू की जा सकेगी।

(iv) शिक्षा - स्कूल भवन का निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कला और शिल्प कक्ष, शौचालय ब्लॉक, पेयजल प्रावधान, दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों/शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास, खेल अवसरंचना, शिक्षकों/अन्य सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति, ई-लर्निंग सेटअप, परिवहन सुविधाओं की अन्य व्यवस्था (बस/वैन/साइकिल/रिक्शा/आदि) और पोषण संबंधी कार्यक्रम।

(v) महिलाओं और बच्चों का कल्याण- मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, संक्रामक रोगों आदि की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यक्रम पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत शुरू किया जा सकेगा।

(vi) **वृद्ध** और विकलांग व्यक्तियों का कल्याण- वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।

(vii) कौशल विकास- स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिए आजीविका सहायता, आय सृजन और आर्थिक गतिविधियों के लिए कौशल विकास। परियोजनाओं/योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

इसमे प्रशिक्षण, कौशल विकास केंद्र का विकास, स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूहों को सहायता तथा ऐसे स्वरोजगार आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अग्रिम और पश्चवर्ती सम्पर्कों का उपबंध शामिल है।

(viii) स्वच्छता- कचरे का संग्रहण, परिवहन और निपटान, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, उचित जल निकासी और सीवेज उपचार संयंत्र की व्यवस्था, मल, कीचड़ के निपटान की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था और अन्य संबंधित गतिविधियाँ।

(ix) आवास - केंद्रीय या राज्य योजनाओं के अंतर्गत कवर न होने वाले खनन प्रभावित लोगों के लिए पक्के आवास का उपबंध।

(x) कृषि - बागवानी और कृषि वानिकी से संबंधित कृषि गतिविधियाँ। सहायक प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों को सहायता, एफपीओस/सामूहिक/सहकारी, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारण, मार्केट यार्ड जैसी विपणन सुविधाएँ, वृक्षारोपण, औषधीय जड़ी-बूटियों के प्रसंस्करण के लिए सहायता।

(xi) पशुपालन - पशुधन, मुर्गीपालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन, चारा एवं आहार विकास को बढ़ावा देना तथा पशुपालन, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान सहकारी संगठनों (एफसीओ) में नवाचार को समर्थन देना।

(घ) वार्षिक निधि का 30% (प्रतिशत) तक निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाएगा:—

(i) आवश्यक भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक अवसंरचना बुनियादी ढांचे अर्थात सड़क, पुल, रेलवे और जलमार्ग परियोजनाऐं।

(ii) सिंचाई - चेक डैम और डायवर्सन वीयर सहित सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, उपयुक्त और उन्नत सिंचाई तकनीकों को अपनाना, ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता, बोरवेल और पंप ऊर्जाकरण के लिए सहायता।

(iii) ऊर्जा और जलग्रहण विकास- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत (सूक्ष्म पनविजली सहित) और वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास। बागों का विकास, एकीकृत खेती, आर्थिक वानिकी और जलग्रहण क्षेत्रों का **पुनरूद्धार** ।

(iv) संबंधित जिले के खनन क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों में पीएमकेकेकेवाई निधियों के उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की अनुसूची V और अनुसूची VI के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित उपबंधों और पंचायत उपाबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या 40) और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित खनन से प्रभावित गांवों के संबंध में;

(क) ग्राम सभा की अनुमोदन आवश्यक होगा:—

सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए पीएमकेकेकेवाई के अधीन (सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अधीन लाभार्थियों की पहचान के लिए)

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद संबंधित गांव में पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत किए गए कार्यों की रिपोर्ट ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी।

[ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जो पंचायत उपाबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या 40) के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ उसे दिया गया है।]

(4) जिला खनिज संस्थान से निधि हस्तांतरण पर प्रतिबंध- जिलों के जिला खनिज संस्थान निधि के संबंध में:

(क) जिला खनिज संस्थान द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में अधिनियम की धारा 9 ख के उपबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा;

(ख) जिला खनिज संस्थान से किसी भी तरह से कोइ भी निधि राज्य कोष या राज्य स्तरीय निधि (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) या मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य निधि या योजना में स्थानांतरित नहीं की जाएगी; और

(ग) जिला खनिज संस्थान की निधि में से किसी भी व्यय की मंजूरी या अनुमोदन राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी **द्वारा** राज्य स्तर पर नहीं किया जाएगा।

(घ) कोई भी निधि किसी जिले के भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के बाहर या इन नियमों में परिभाषित प्रभावित लोगों के अलावा अन्य के लिए खर्च नहीं की जाएगी।

(ङ) इन नियमों में उल्लिखित के अलावा किसी भी तरीके से एक जिले से दूसरे जिले में कोई भी निधि हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

(च) डीएमएफ से निधियों के व्यय का अनुमोदन पूरी तरह से डीएमएफ की शासी परिषद के पास है। राज्य सरकार या राज्य स्तरीय समिति (चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाए) के पास परियोजनाओं की मंजूरी, निधियों के व्यय की मंजूरी पर व्यापक अधिकार नहीं होगा और उनका कार्य पीएमकेकेकेवाई के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी तक ही सीमित होगा।

(छ) डीएमएफ द्वारा संबंधित राज्य सरकारों **द्वारा** निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद कार्य/सामान खरीदे जा सकते हैं। जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ज) सभी निष्पादन एजेंसियों और लाभार्थियों को धनराशि का हस्तांतरण केवल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते के माध्यम में किया जाएगा।

6. नियम 18 का प्रतिस्थापन.—उक्त नियमों के नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

" प्रशासनिक व्यवस्था.—

(1) सरकार आवश्यकतानुसार न्यास के प्रबंधन तथा वार्षिक योजना के क्रियान्वयन के लिए सेकेंडमेंट आधार पर जिला **उद्योग** केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों सहित अपने नियंत्रणाधीन कार्मिकों की सेवाएं उपलब्ध करा सकेगी, जैसा कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(2) जहां तक संभव हो, जिला खनिज संस्थान मे कोई अस्थायी/स्थायी पद सृजित नहीं होना चाहिए। संस्थान द्वारा किसी भी अस्थायी/स्थायी पद के सृजन और वाहन की खरीद के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। हालांकि, न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।

(3) जिला खनिज संस्थान की क्षमता बढ़ाने और जिला खनिज संस्थान निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए, 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक संग्रह वाले जिला खनिज संस्थान को योजना, तकनीकी, लेखांकन और निगरानी सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करनी होगी और ऐसी पीएमयू की लागत प्रशासनिक खर्चों से पूरी की जा सकेगी। पीएमयू अनुबंध के आधार पर आवश्यक योग्य जनशक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

(4) पीएमकेकेकेवाई के अधीन परियोजनाओं के लिए कार्मियों की नियुक्ति केवल सीमित अवधि के लिए पूर्णतः संविदात्मक होगी।

7. नियम 20-क का अंत:स्थापन.—उक्त नियमों के नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"20क. शिकायत निवारण एवं अनुपालन तंत्र—

(1) जिला खनिज संस्थान एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार करेगा और उसे लागू करेगा ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण हो सके और कलेक्टर या किसी ऐसे अन्य अधिकारी जैसा अधिसूचित किया जाए, को शिकायत करने के 30 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को उपयुक्त जबाब दिया जा सके।

(2) राज्य सरकार, किसी भी शिकायत/सार्वजनिक शिकायत प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक शिकायत का निवारण जिला खनिज संस्थान द्वारा किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतकर्ता को उपयुक्त उत्तर दिया जाए।

(3) केंद्र सरकार, जिला खनिज संस्थान निधियों के अनुचित उपयोग, परियोजनाओं के खराब कार्यान्वयन या पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत/सार्वजनिक शिकायत प्राप्त होने पर—

(i) शिकायत को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को भेजना। राज्य सरकार, भारत सरकार से संदर्भ प्राप्त होने के 2 महीने के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ii) वैकल्पिक रूप से, यदि वह उचित समझे, तो केंद्र सरकार ऐसी शिकायत पर केंद्रीय टीम अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा जांच करा सकेगी

(iii) राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट या केंद्रीय टीम या तीसरे पक्ष की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ऐसे निर्देश प्राप्त होने के एक मास के भीतर आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश देगी।

(iv) राज्य सरकार सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

(4) यदि जिला खनिज संस्थान—

(i) बंदोबस्ती निधि बनाए रखने में विफल रहता है

(ii) नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके किसी भी निधि को स्थानांतरित करता है

(iii) इन नियमों के किसी भी उपबंध का पालन करने में विफल रहता है

(iv) खातों का ऑडिट करवाने में विफल होता है

(v) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने में विफल रहता है

(vi) राज्य सरकार या केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार निर्देश दे सकगी—

(i) किसी या सभी नए कार्यों की मंजूरी को निलंबन या पहले से स्वीकृत किसी या सभी कार्यों का निष्पादन; और/या उन बैंकों **द्वारा** किसी या सभी कार्यों के लिए धनराशि जारी करने पर निलंबन जहां जिला खनिज संस्थान निधि जमा है या निष्पादन एजेंसियों के बैंक खाते जहां जिला खनिज संस्थान से निधि स्थानांतरित की गई हैं।

(ii) राज्य सरकार या केंद्र सरकार,का यह समाधान होने के पश्चात कि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, ऐसे निलंबन को वापस ले सकेगी।

(iii) यदि उपरोक्त (i) या (ii) के अधीन कोई निर्देश केंद्र सरकार **द्वारा** दिया जाता है, तो ऐसे निर्देश को वापस लेने का काम केवल केंद्र सरकार **द्वारा** ही किया जाएगा।

8. नियम 24 का प्रतिस्थापन.—उक्त नियम के नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"24. पारदर्शिता और जवाबदेही:—

(1) प्रत्येक संस्थान एक वेबसाइट या जिला प्रशासन की वेबसाइट पर एक विशिष्ट अनुभाग तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा, जिस पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित जानकारी होस्ट की जाएगी और उसे **अद्यतन** रखा जाएगा:—

(क) जिला खनिज संस्थान की शासी परिषद और प्रबंध समिति/चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, की संरचना का विवरण;

(ख) खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की सूची (आवधिक **अद्यतन** सहित);

(ग) पट्टेदारों और अन्य लोगों से प्राप्त सभी अंशदानों का त्रैमासिक विवरण;

(घ) जिला खनिज संस्थान की समस्त बैठकों का कार्यवृत्त, मिनट और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर);

(ङ) 5 वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना, बंदोबस्ती निधि के निवेश का विवरण, वार्षिक योजना और बजट, कार्य आदेश और वार्षिक रिपोर्ट दस्तावेज जारी होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए;

(च) पीएमकेकेकेवाई के अधीन किए जा रहे सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की चल रहे कार्यों, कार्यान्वयन की स्थिति/प्रगति की ऑनलाइन स्थिति वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसमें कार्य का विवरण, लाभार्थियों का विवरण, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम, कार्य शुरू होने और पूरा होने की अपेक्षित तिथि, पिछली तिमाही तक की वित्तीय और भौतिक प्रगति आदि शामिल होनी चाहिए;

(छ) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची;और

(ज) आरटीआई अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक खुलासे।

(2) प्रत्येक संस्थान परियोजना स्थल पर नोटिस बोर्ड पर परियोजना का विवरण तथा स्वीकृत राशि प्रदर्शित करेगा।

(3) सोशल मीडिया, फिल्मों, वीडियो आदि के माध्यम से पीएमकेकेकेवाई के अधीन कार्यान्वित योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियाँ।

(4) जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) निधियों के जमा कार्यों के कार्यान्वयन सहित जिला खनिज संस्थान के प्रदर्शन से संबंधित जानकारी राज्य सरकार और खनन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ निर्धारित प्रारूप और निर्दिष्ट तरीके से साझा करेगा।

(5) केंद्र सरकार इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगी। डीएमएफ के प्रशासन को सुविधाजनक बनाना, जिसमें परियोजनाओं की स्वीकृति, निधि जारी करना और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी शामिल है। प्रत्येक जिला खनिज संस्थान को अनिवार्य रूप से केन्द्र सरकार **द्वारा** अधिसूचित तिथि से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही परियोजनाओं की स्वीकृति, निधि जारी करना और निष्पादन की निगरानी करनी होगी।

आदेश द्वारा,

आर.डी.नज़ीम, भा.प्र.से.,
प्रधान सचिव (उद्योग)

[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind-B(F)6-31/2016-II, dated 15-05-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th May, 2025

No. Ind-B(F) 6-31/2016-II.—In exercise of powers conferred by section 15 read with sections 9B and 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh District Mineral Foundation Trust Rules, 2016 notified *vide* this department notification No. Ind-B-F(6)-31/2016, dated 22-08-2016 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 27-08-2016 and amended further *vide* notification of No. Ind-II(F)10-7/2018 dated 28-10-2020 and No. Ind-B(F)6-31/2016-II dated 10-12-2021, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh District Mineral Foundation Trust (Amendment) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 2.—In rule 2 of the Himachal Pradesh District Mineral Foundation Trust Rules, 2016 (hereinafter referred to as the 'said rules')—

(a) in sub-clause (i) of Explanation below clause (b) of sub-rule (1) for item (b), the following shall be substituted, namely:—

"(b) An area within the radius of 15 Kilometers in Himachal Pradesh from a mine or cluster of mines, irrespective of Districts boundaries concerned;"

(b) in sub-clause (i) of Explanation below clause (b) of sub-rule (1), after item (d), the following new sub-clause (e) shall be inserted, namely:—

"(e) In case of major mineral mines, Villages, Gram Panchayats or Urban Local Bodies (ULBs) within which the mines are situated and are operational such mining areas may extend to neighboring village, block, districts or even State.

Provided that if the affected area of a mine in one district also falls in the jurisdiction of another district (even if it is in another State), such percentage of amount collected from the mine by the Foundation, in proportion of affected areas, shall be transferred to the Foundation of the other district concerned for taking up the activities in such areas. A project that is for benefit of the affected area/ people, but stretches beyond the geographical boundary of the district should be taken up under the PMKKKY after obtaining prior approval of the State Government".

(c) for sub-clause (ii) of Explanation below clause (b) of sub-rule (1), following shall be substituted, namely:—

"(ii) 'Indirectly affected areas' means those areas of the Himachal Pradesh within 15 KM to 25 KM of radius from a mine or cluster of mines irrespective of Districts boundaries concerned, where the local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining related operations. The major negative impact of mining can be by the way of water pollution, deterioration of soil and air quality, reduction in stream flows and depleting of ground water, congestion and pollution due to mining operations, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources".

(d) after sub-clause (iii) of Explanation below clause (b) of sub-rule (1), the following new sub-clause (iv) shall be inserted, namely:—

"(iv) The District Mineral Foundation shall prepare and maintain an updated list of such directly and indirectly affected areas".

(e) for clause (c) of sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"(c) The following shall include "directly affected persons":—

(a) (i) 'Affected family' as defined under Section 3(c) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013;

(ii) 'Displaced family' as defined under Section 3 (k) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013;

(iii) Any other as appropriately identified by the concerned Gram Sabha/ ULB in directly or indirectly affected area.

(b) Persons affected by mining should include people who have legal and occupational rights over the land being mined, those with usufruct and traditional rights, and those whose livelihoods have been affected due to mining.

(c) Affected families should be identified, as far as possible, in consultation with local/elected representatives of Gram Sabha/Urban Local Body (ULB) in directly or indirectly affected area.

(d) The District Mineral Foundation shall prepare and maintain an updated list of such affected persons/local communities. The list shall be updated at least once every 5 years.

3. Insertion of rule 8-A.—After rule 8 of the said rules, the following new rule 8-A shall be inserted, namely:—

"8A.**Five years perspective planning and annual plan.—**For complete coverage of all affected people and areas in a systematic and time bound manner, long-term planning is essential. For proper utilization of funds for the implementation of works using District Mineral Foundation (DMF) funds:

(i) The districts shall conduct a baseline survey through Academic Institutions/ Renowned organizations/ agencies for perspective plan formulation. Gram Sabha/Local Bodies may aid in preparation of need assessment reports. The DMF may also use the baseline survey undertaken by any Department, if available. The reference and major findings of the surveys should be included in the Perspective Plans under PMKKKY for the District.

(ii) Based on the findings and gaps as identified through the baseline survey or any such survey/assessment, the DMF shall prepare a strategy for five years and the same shall be included in the Perspective Plan. The five-year Perspective Plan shall be prepared taking into account current balance available and likely accrual to the DMF over a period of five years. The five-year Perspective Plan shall be disaggregated into year-wise action plans.

(iii) The five-year Perspective Plan shall have separate sections on all priority sectors like drinking water, health, education, welfare of women and children, etc and other sectors like roads, irrigation etc

(iv) The five-year Perspective Plan shall be approved by the Governing Council of the DMF and displayed on the website of the DMF.

(v) The Annual Plans of the DMF to be approved by Governing Council each year shall be based upon the five-year perspective plan and success achieved in fulfilling its targets in earlier years. The Annual Plans may include some other works and expenditures considered urgent in nature although not included in the perspective plan to a maximum extent of 10% of the annual plan.

(vi) The State Government may empanel renowned organization/agencies/ universities for conducting the baseline surveys and preparing five-year perspective plans.

(vii) The Governing Council shall approve the five years perspective plan and annual plan comprising of list of projects to be taken up in financial years.

4. Insertion of rule 12-A.—After rule 12 of the said rules, the following new rule shall be inserted, namely:—

(1) State Level Monitoring Committee:- A "State Level Monitoring Committee" shall be constituted at the State level under the Chairpersonship of the Chief Secretary with Secretaries of executing Departments, Finance and Planning Department, and one representative of Ministry of Mines, Government of India as members.

(2) The Secretary of Geology and Mining Department or any other Department entrusted to supervise DMFs in the State shall be the Member Secretary of the "State Level Monitoring Committee".

(3) The Directorate of Geology and Mining or any Directorate as entrusted by the State Government shall constitute a cell to be called "State Level Nodal DMF Cell" for monitoring activities of DMFs in the State and shall act as the Secretariat to the State Level Monitoring Committee.

(4) Functions of State Level Monitoring Committee.—The State Level Monitoring Committee shall monitor performance of DMFs and compliance of transparency norms, audit and annual report of DMFs.

(5) The State Level Monitoring Committee shall meet at least twice in a year.

5. Substitution of rule 15.—For rule 15 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"15. Expenditure from the Trust Fund —

(1) The Trust Fund shall be strictly used for the benefit of persons and areas affected by mining or mining related operations and for their social and economic upliftment. The funds shall be used as far as possible in proportion to the contribution of each mine. The developmental and welfare activities to be taken up under the PMKKKY should be, as far as possible, in the nature of complementing the ongoing schemes/projects being funded by the State as well as Central Government. Activities meant to be taken up under the 'polluter pays principle' should not be taken up under the PMKKKY. However, without prejudice to the powers of the Foundation, efforts shall be made to achieve convergence with the State and the District Plans so that the activities taken up by the Foundation supplement the development and welfare activities and are treated as extra-budgetary resources for the State Plan. The DMFs shall focus on convergence with ongoing central and state schemes for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in mining affected areas. While formulating schemes, DMFs will give priority to achieving targets under Aspirational Districts Programme and Aspirational Blocks Programme.

(2) The total amount that the Trust Fund likely to be received in a year shall be earmarked specifically for the following purposes:—

(a) A sum equivalent to 10% of the annual receipts should be kept as endowment fund for providing sustainable livelihood. The districts having annual collection of Rs. 10 crore or more shall maintain an endowment fund. The endowment fund may be invested in government securities/bonds and FDs of scheduled banks and other instruments. The endowment fund should be used for creating & sustaining livelihoods in areas where mining activity has stopped due to any reason including exhaustion of mineral;

(b) An amount not exceeding 5% of the annual receipts of the Foundation may be utilised for administrative, supervisory and overhead costs of the Foundation. As far as possible, no temporary/permanent posts should be created under the District Mineral Foundation. Any creation of temporary/permanent posts and purchase of vehicle by the foundation shall require prior approval of the State Government. However, minimum required staff can be engaged on contractual basis. In order to enhance the capacity of the DMFs and for effective utilization of DMF funds, the DMF with annual collection in the excess of Rs. 50 crores shall set up a Project Management Unit for planning, technical, accounting and monitoring support and the cost of such PMU may be met from administrative expenses. The PMU may engage required qualified manpower on contractual basis. Engagement of personnel for projects under the PMKKKY shall be purely contractual for a limited period only.

(c) 70 % of the total annual receipt in the District Mineral Foundation Trust shall be spent only in the directly affected areas and shall be spent under the schemes of Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojna (PMKKKY) as follows:—

(i) Drinking Water Supply.—Centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.

(ii) Environment Preservation and Pollution Control Measures.— Effluent treatment plants, prevention of pollution of stream, lakes, ponds, ground water, other water resources in the region including flood protection works, measure for controlling air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, and measures for working on abandoned mines and other air, water & surface pollution control mechanisms required for environment-friendly and sustainable mine development.

(iii) Health-Care.—The focus must be on creation of primary/secondary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of necessary staffing, equipment and supplies required for making such facilities effective. To that extent, the effort should be supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure of the local bodies, State and Central Government. The expertise available with the National Institute of Miners' Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illnesses and diseases. Group Insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons.

(iv) Education—Construction of school building, Additional class rooms, Laboratories, Libraries, Art and crafts room, Toilet blocks, drinking water provisions, Residential Hostels for students/ teachers in remote areas, sports infrastructure, engagement of teachers/other supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities (bus/ van/cycles/rickshaws/etc.) and nutrition related programs.

(v) Welfare of Women and Children—Special program for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, infectious diseases, etc. can be taken up under the PMKKKY.

(vi) Welfare of Aged and Disable People—Special program for welfare of aged and disabled people.

(vii) Skill Development—Skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The projects/schemes may include training, development of skill development centre, self-employment schemes, support to Self Help Groups and provision of forward and backward linkages for such self-employment economic activities.

(viii) Sanitation—Collection, transportation & disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage & Sewage Treatment Plant, provision for disposal of fecal sludge, provision of toilets and other related activities.

(ix) Housing – Provision of pucca housing for mining affected people not covered under Central or State schemes.

(x) Agriculture–Activities related to agriculture, horticulture and agroforestry. Assistance to farmers through trainings, support to FPOs/ collectives/cooperatives, support for setting up of food processing units, storage including cold storage, marketing facilities like market yards etc., plantation, processing of medicinal herbs.

(xi) Animal Husbandry – Promotion of livestock, poultry, piggery, fishery, feed and fodder development and supporting innovation in animal husbandry, Farmers Producer Organizations (FPOs), Self Help Groups (SHGs), Farmer Cooperative Organizations (FCOs).

(d) Up to 30% of the annual fund shall be utilized for other priority areas under schemes as follows:—

(i) Physical infrastructure—to provide required physical infrastructure *viza-viz* road, bridges, railways and waterways projects.

(ii) Irrigation — developing alternate sources of irrigation including check dams and diversion weirs, adoption of suitable and advanced irrigation techniques, assistance for micro irrigation facilities including drip irrigation, assistance for bore wells and pump energization.

(iii) Energy and Watershed Development—Development of alternate source of energy (including micro-hydel) and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming, economic forestry and restoration of catchments.

(iv) Any other measures for enhancing the environment quality in mining areas of respective district.

(3) Special Provision for scheduled area.—The process to be adopted for utilization of PMKKKY funds in the scheduled areas shall be guided by the provisions contained in the Article 244 read with Schedule V and Schedule VI to the Constitution relating to administration of the scheduled areas and tribal areas and the provisions of the Panchayats (Extension to the Schedule Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of the Forest Rights) Act, 2006.

In respect of villages affected by mining situated within the Scheduled areas;

(a) approval of Gram Sabha shall be required:—

(i) for all plans, programs and projects to be taken up under PMKKKY;

(ii) for identification of beneficiaries under the existing guidelines of the Government.

(b) Report on the works undertaken under PMKKKY in the respective village shall be furnished to the Gram Sabha after completion of every financial year.

[Gram Sabha will have same meaning as assigned to it for the purpose of implementation of the Provisions for the Panchayats (Extension to the Schedules Area) Act, 1996 (Act 40 of 1996)].

(4) Restriction on fund transfer from DMF–In respect to the DMF funds of the districts:

(a) The provisions of Section 9B of the Act shall be strictly adhered to in respect of utilization of funds by the District Mineral Foundations;

(b) No fund shall be transferred in any manner from the District Mineral Foundations to the State exchequer or State level fund (by whatever name called) or Chief Minister's Relief Fund or any other funds or schemes; and

(c) No sanction or approval of any expenditure out of the fund of the District Mineral Foundation shall be done at the State level by the State Government or any State level agency.

(d) No fund shall be spent outside directly or indirectly affected areas within a district or for other than affected people as defined in these Rules.

(e) No fund shall be transferred in any manner from one district to another district except as mentioned in these Rules.

(f) The approval of expenditure of funds from DMF lies solely with the Governing Council of DMF. The State Government or State level Committee (by whatever name called) shall not have overarching authority on sanction of projects, approval of funds/ expenditure and their function shall be limited to monitoring effective implementation of projects sanctioned under PMKKKY.

(g) Works /goods may be procured by the DMF after following due procedure prescribed by the respective State Governments for such procurements. Procurement through GeM portal should be preferred.

(h) Transfer of fund to all executing agencies and beneficiaries shall be through Direct Benefit Transfer (DBT) only into their bank account.

6. Substitution of rule 18.—For rule 18 of the said rule, the following rule shall be substituted namely:—

"18. Administrative Arrangements.—

(1) The Government may at the requisition provide services of the personnel under their control including employees working in the District Industries Centres on secondment basis for management of the Trust and for execution of the Annual Plan as may be required for the purpose.

(2) As far as possible, no temporary/permanent posts should be created under the District Mineral Foundation. Any creation of temporary/permanent posts and purchase of vehicle by the foundation shall require prior approval of the State Government. However, minimum required staff can be engaged on contractual basis.

(3) In order to enhance the capacity of the DMFs and for effective utilization of DMF funds, the DMF with annual collection in the excess of Rs. 50 crores shall set up a Project Management Unit for planning, technical, accounting and monitoring support and the cost of such PMU may be met from administrative expenses. The PMU may engage required qualified manpower on contractual basis.

(4) Engagement of personnel for projects under the PMKKKY shall be purely contractual for a limited period only.

7. Insertion of rule 20-A.—After rule 20 of the said rules, the following rule 20-A shall be inserted, namely:—

"20A. Grievance Redressal & Compliance Mechanism—

(1) The DMFs shall devise and implement a grievance redressal mechanism so that each grievance is redressed, and a suitable reply is given to the complainant within 30 days of making a complaint to the Collector or any other officer as may be notified.

(2) The State Government may, on receipt of any complaint/public grievance shall ensure each grievance is redressed by DMF and a suitable reply is given to the complainant within the stipulated timeframe.

(3) The Central Government may, on receipt of any complaint/public grievance regarding improper utilization of DMF funds, poor implementation of projects or violation of PMKKKY guidelines—

i. Refer the complaint to the State Government for submitting a detailed Action Taken Report. The State Government shall submit a detailed Action Taken Report within 2 months from receipt of reference from the Government of India.

ii. Alternatively, if it considers fit, the Central Government may get an inquiry conducted by a Central team, or any third party on such complaint.

iii. On receipt of the Action Taken Report by the State Government or report of Central Team or the third party, the Central Government shall direct the State Government to take necessary corrective measures within one month of receipt of such direction.

iv. The State Government shall submit a report on implementation of corrective measures.

(4) In case, a DMF—

i. fails to maintain an endowment fund

ii. transfers any fund in violation of the Rules and guidelines

iii. fails to comply with any of the provisions of these Rules

iv. fails to get the accounts audited

v. fails to prepare and publish annual report

vi. fails to follow directions of State Government or Central Government. The State Government or the Central Government may direct—

(i) Suspension of sanction of any or all new works or execution of any or all of already sanctioned works; and/or suspension of release of funds for any or all the works by the bank(s) where DMF fund is deposited or the bank account of the executing agencies where funds have been transferred from DMF.

(ii) The State Government or the Central Government may, after being satisfied that necessary corrective measures have been taken, withdraw such suspension.

(iii) In case any direction under (i) or (ii) above is given by the Central Government, the withdrawal of such direction shall only be done by the Central Government.

8. Substitution of rule 24.—For rule 24 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"24. Transparency and Accountability:—

(1) Each Foundation will prepare and maintain a website/ or a specific section on the website of the District Administration on which, inter-alia, the following information will be hosted and kept updated:—

(a) Details of composition of the Governing Council and Managing Committee of DMF/by whatever name called.

(b) List of areas and people affected by mining (including periodic updation)

(c) Quarterly details of all contributions received from lessees and others

(d) All meeting agenda, minutes and action taken reports (ATRs) of the DMF

(e) 5 years Perspective Plan, details of investment of endowment fund, Annual Plans and budget, work orders and Annual Report within 30 days of issuance of the document.

(f) Online status of ongoing works-implementation status/progress of all the projects/programs being undertaken under PMKKKY should be made available on the website, including description of work, details of beneficiaries, estimated cost, name of implementing agencies, expected date of commencement and completion of work, financial and physical progress up to the previous quarter etc.

(g) List of beneficiaries under various welfare programs

(h) Voluntary disclosures under RTI Act

(2) Each Foundation shall display description of the project and amount sanctioned on a notice board at the project site.

(3) Information, Education and Communication (IEC) activities to create awareness regarding schemes implemented under PMKKKY through social media, films, videos etc.

(4) The District Mineral Foundation (DMF) shall share information pertaining to performance of DMF including deposit of funds and implementation of works to the State Government and Ministry of Mines, Government of India as per the formats prescribed and manner specified.

(5) The Central Government shall develop an online portal for facilitating administration of DMF including approval of projects, release of funds and monitoring of implementation of the projects. Each DMF shall compulsorily sanction, release funds and monitor execution of projects through the online portal only from the date as may be notified by the Central Government."

By order,

Sd/-
(R.D. NAZEEM).
Addl. Chief Secretary (Industries).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायरा	तारीख पेशी
36 / T / 2025	जन्म तिथि पंजीकरण	03–05–2025	02–06–2025

सुश्री रिंका देवी पुत्री जगत राम, वासी मोहाल गुजरेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। ... वादिया।

बनाम

आम जनता ... प्रतिवादी।

विषय.–– जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 सुश्री रिंका देवी पुत्री जगत राम, वासी गुजरेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुत्री रिंका देवी पुत्री जगत राम, वासी गुजरेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 13–04–1985 को ग्राम पंचायत चबूतरा में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत चबूतरा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 02–06–2025 को

सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को नगर निगम सुजानपुर में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 03–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायरा	तारीख पेशी :
37 / T / 2025	जन्म तिथि पंजीकरण	07–05–2025	02–06–2025

श्री बलदेव कुमार पुत्र राम सिंह, वासी मोहाल धमडियाना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। ... वादी।

बनाम

आम जनता ... प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्री बलदेव कुमार पुत्र राम सिंह, वासी धमडियाना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री बलदेव कुमार पुत्र राम सिंह, वासी मोहाल धमडियाना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 08–01–1965 को ग्राम पंचायत धमडियाना में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत धमडियाना में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 02–06–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत धमडियाना में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 08–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायरा	तारीख पेशी
28 / T / 2025	नाम दुरुस्ती	01–04–2025	02–06–2025

श्री पुन्नू राम उर्फ मस्त राम पुत्र लेहलो, वासी मोहाल बगेहडा उपरला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। ... वादी।

बनाम

आम जनता ... प्रतिवादी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1), 1954 श्री पुन्नू राम उर्फ मस्त राम पुत्र लेहलो, वासी मोहाल बगेहडा उपरला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री पुन्नू राम उर्फ मस्त राम पुत्र लेहलो, वासी मोहाल बगेहडा उपरला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका राजस्व अभिलेख वाक्या मोहाल बगेहडा उपरला में पुन्नू राम पुत्र लेहलो दर्ज है जबकि उसका सही नाम मस्त राम पुत्र लेहलो है। लिहाजा इसे मोहाल बगेहडा उपरला के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके पुन्नू राम उर्फ मस्त राम पुत्र लेहलो किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 02–06–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 08–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायरा	तारीख पेशी
03 / T / 2025	नाम दुरुस्ती	21–01–2025	04–06–2025

श्री सुरेश कुमार पुत्र राम स्वरूप, वासी मोहाल सुजानपुर, वार्ड नं0 8, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)। ... वादी।

बनाम

आम जनता ... प्रतिवादी।

विषय.––प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1), 1954 सुरेश कुमार पुत्र राम स्वरूप, वासी मोहाल सुजानपुर, वार्ड नं0 8, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र राम स्वरूप, वासी मोहाल सुजानपुर, वार्ड नं0 8, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाक्या मोहाल सुजानपुर में सुरेश पुत्र राम स्वरूप दर्ज है जबकि उसका सही नाम सुरेश

कुमार पुत्र राम स्वरूप है। लिहाजा इसे मोहाल सुजानपुर के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके सुरेश कुमार पुत्र राम स्वरूप किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 04–06–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 15–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
22 / NT / 2025	जन्म तिथि पंजीकरण	08–05–2025	06–06–2025

श्री अश्वनी कुमार पुत्र महलू राम, वासी मोहाल तरकून, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ... वादी।

बनाम

आम जनता ... प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि पंजीकरण श्री अश्वनी कुमार पुत्र महलू राम, वासी मोहाल तरकून, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र जन्म तिथि पंजीकरण श्री अश्वनी कुमार पुत्र महलू राम, वासी मोहाल तरकून, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 12–09–1977 को ग्राम पंचायत दाडला में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत दाडला में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत दाडला में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 06–06–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 08–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
34 / T / 2025	जन्म तिथि पंजीकरण	01–05–2025	02–06–2025

सुश्री सपना कुमारी पुत्री तुलसी राम, वासी मोहाल वार्ड नं0 3, बाबा स्वरूप गिर मोहल्ला सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ... वादिया।

बनाम

आम जनता ... प्रतिवादि।

विषय.––जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act,1969 सुश्री सपना कुमारी पुत्री तुलसी राम, वासी मोहाल वार्ड नं0 3, बाबा स्वरूप गिर मोहल्ला सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री सपना कुमारी पुत्री तुलसी राम, वासी मोहाल वार्ड नं0 3, बाबा स्वरूप गिर मोहल्ला सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 03–12–1986 को नगर निगम सुजानपुर में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे नगर निगम सुजानपुर में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 02–06–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि नगर निगम सुजानपुर में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 01–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
35 / T / 2025	जन्म तिथि पंजीकरण	02–05–2025	02–06–2025

सुश्री सुमना कुमारी पुत्री राम सिंह, वासी मोहाल धमडियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ... वादिया।

बनाम

आम जनता ... प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act,1969 सुश्री सुमना कुमारी पुत्री राम सिंह, वासी मोहाल धमडियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ।

प्रार्थना–पत्र जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री सुमना कुमारी पुत्री राम सिंह, वासी मोहाल धमडियाणा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 25–04–1975 को ग्राम पंचायत धमडियाणा में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत धमडियाणा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 02–06–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि नगर निगम सुजानपुर में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 03–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 5 / C / T / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

कृष्ण चन्द पुत्र सौहण मल, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी कृष्ण चन्द पुत्र सौहण मल, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप उपरला के अभिलेख में गलती से उसका नाम किशन चन्द व पिता का नाम सौणमल व महाल अधार में किशन चन्द व पिता का नाम सावनमल दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र, व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम कृष्ण चन्द व पिता का नाम सौहण मल दर्ज है, जोकि उसका व उसके पिता का सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम महाल टिप उपरला में कृष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व पिता का नाम सौहण मल उपनाम सौणमल व महाल अधार में कृष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व पिता का नाम सौहण मल उपनाम सावनमल दुरुस्त दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी कृष्ण चन्द पुत्र सौहण मल, निवासी गांव टिप उपरला,

डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला में कृष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व पिता का नाम सौहण मल उपनाम सौणमल व महाल आधार में कृष्ण चन्द उपनाम किशन चन्द व पिता का नाम सौहण मल उपनाम सावनमल दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 6 / C / T / 2025 तारीख पेशी : 5–06–2025

श्रीमती सीमा देवी पुत्री वख्शी चन्द, निवासी गांव गन्धवाड खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया श्रीमती सीमा देवी पुत्री वख्शी चन्द, निवासी गांव गन्धवाड खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त गन्धवाड के राजस्व महाल छौंट के अभिलेख में गलती से उसका नाम सोमा देवी व महाल गन्धवाड खास में शकुन्तला देवी दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम सीमा देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम महाल छौंट में सीमा देवी उपनाम सोमा देवी व महाल गन्धवाड खास में सीमा देवी उपनाम शकुन्तला देवी दुरुस्त दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया श्रीमती सीमा देवी पुत्री वख्शी चन्द, निवासी गांव गन्धवाड खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त गन्धवाड के राजस्व महाल छौंट में सीमा देवी उपनाम सोमा देवी व महाल गन्धवाड खास में सीमा देवी उपनाम शकुन्तला देवी दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 7 / C / T / 2025 तारीख पेशी : 5–06–2025

श्रीमती शालनी देवी पत्नी बजीर चन्द, निवासी गांव संघ्याड, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया श्रीमती शालनी देवी पुत्री बजीर चन्द, निवासी गांव संघ्याड, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल संघ्याड के अभिलेख में गलती से उसका नाम श्रीमती सलीनी व पति का नाम बजीर सिंह व महाल भडोली में श्रीमती सालीनी देवी व पति का नाम बजीर सिंह दर्ज हो गया है जबकि अधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम शालनी देवी व पति का नाम बजीर चन्द दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम महाल संघ्याड में शालनी देवी उपनाम श्रीमती सलीनी देवी व पति का नाम बजीर चन्द उपनाम बजीर सिंह महाल भडोली में शालनी देवी उपनाम सालीनी देवी व पति का नाम बजीर चन्द उपनाम बजीर सिंह दुरुस्त दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया श्रीमती शालनी देवी पुत्री बजीर चन्द, निवासी गांव संघ्याड, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त थिल के राजस्व महाल संघ्याड में शालनी देवी उपनाम सलीनी देवी व पति का नाम बजीर चन्द उपनाम बजीर सिंह महाल भडोली में शालनी देवी उपनाम सालीनी देवी व पति का नाम बजीर चन्द उपनाम बजीर सिंह दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 8 / C / T / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

भान सिंह पुत्र पूर्ण सिंह, निवासी गांव राम नगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी भान सिंह पुत्र पूर्ण सिंह, निवासी गांव राम नगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त वार कलां के राजस्व महाल राम नगर, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम भान सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम भान सिंह राणा दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम भान सिंह राणा उपनाम भान सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी भान सिंह राणा पुत्र पूर्ण सिंह, निवासी गांव राम नगर, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त वार कलां के राजस्व महाल राम नगर के अभिलेख में भान सिंह राणा उपनाम भान सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 07 / D / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी भाभी श्रीमती सीता देवी विधवा हरिया की मृत्यु दिनांक 02–01–2023 को हुई है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसकी भाभी की मृत्यु तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां की भाभी श्रीमती सीता देवी की मृत्यु तिथि 02–01–2023 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 08 / D / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके ताया के लड़के श्री हरिया पुत्र घुंघर राम की मृत्यु दिनांक 10–01–1997 को हुई है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसके ताया के लड़के की मृत्यु तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रीतम सिंह कौण्डल पुत्र श्री चेता राम, निवासी गांव अम्वाड़ा, डाकघर व तहसील खुण्डियां के ताया के लड़के श्री हरिया की मृत्यु तिथि 10–01–1997 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 09 / D / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

धर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री कपूर सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी धर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री कपूर सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी बहन नीलमा कुमारी पुत्री कपूर सिंह की मृत्यु दिनांक 12–06–2002 को हुई है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में उसकी बहन की मृत्यु तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा धर्म सिंह पुत्र स्व0 श्री कपूर सिंह, निवासी गांव खुण्डियां, डाकघर व तहसील खुण्डियां की बहन नीलमा कुमारी की मृत्यु तिथि 12–06–2002 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

––––––––––

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 10 / D / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

अन्जू देवी पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी गांव गन्धवाड़ खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया अन्जू देवी पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी गांव गन्धवाड़ खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पति किशोरी लाल पुत्र गंगा राम की मृत्यु दिनांक 15–12–2022 को हुई है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में उसके पति की मृत्यु तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया अन्जू देवी पत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी गांव गन्धवाड़ खास, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां के पति किशोरी लाल पुत्र गंगा राम की मृत्यु तिथि 15–12–2022 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत सुरानी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

––––––––––

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 11 / B / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री वेली राम, निवासी महाल पीहड़ी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री वेली राम, निवासी महाल पीहड़ी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 20–09–1958 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत पीहड़ी के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत पीहड़ी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री वेली राम, निवासी महाल पीहड़ी, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 20–09–1958 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत पीहड़ी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 12 / B / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

रशमा देवी पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी महाल वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया रशमा देवी पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 15–10–1975 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा रशमा देवी पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15–10–1975 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 13 / B / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

लोजन कुमार पुत्र केहर सिंह, निवासी महाल वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम।

प्रार्थी लोजन कुमार पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि उसका जन्म दिनांक 13–01–1978 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा लोजन कुमार पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 13–01–1978 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 14 / B / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

निशा राणा पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी महाल वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया निशा राणा पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 19–11–1982 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा निशा राणा पुत्री श्री केहर सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 19–11–1982 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 33 / C / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

विजय कुमार पुत्र वख्सी उपनाम साधू, निवासी गांव घमीर लाहड़, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी विजय कुमार पुत्र वख्सी उपनाम साधू, निवासी गांव घमीर लाहड़, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिहरी के राजस्व महाल घमीर लाहड़, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम डूमणू दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम विजय कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विजय कुमार उपनाम डूमणू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी विजय कुमार पुत्र वख्सी उपनाम साधू, निवासी गांव घमीर लाहड़, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिहरी के राजस्व महाल घमीर लाहड़ के राजस्व अभिलेख में विजय कुमार उपनाम डूमणू दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 34 / C / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

रमेश चन्द राणा पुत्र वेली राम, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी रमेश चन्द राणा पुत्र वेली राम, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला व अधार, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम रमेश चन्द व पिता का नाम वेला राम दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम रमेश चन्द राणा व पिता का नाम वेली राम दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका व उसके पिता का नाम रमेश चन्द राणा उपनाम रमेश चन्द व पिता का नाम वेली राम उपनाम वेला राम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी रमेश चन्द राणा पुत्र वेली राम, निवासी गांव टिप उपरला, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला व अधार के राजस्व अभिलेख में रमेश चन्द राणा उपनाम रमेश चन्द व पिता का नाम वेली राम उपनाम वेला राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 35 / C / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

सुशील कुमार पुत्र गंगा राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी सुशील कुमार पुत्र गंगा राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त बडोग लाहड के राजस्व महाल हरी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम सुनील कुमार दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम सुशील कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुशील कुमार उपनाम सुनील कुमार दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी सुशील कुमार पुत्र गंगा राम, निवासी गांव हरी, डाकघर सुदर लाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त बडोग लाहड के राजस्व महाल टिप उपरला व अधार के राजस्व अभिलेख में सुशील कुमार उपनाम सुनील कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 36 / C / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

राम लाल पुत्र गुरदिता, निवासी गांव कदेहड, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी राम लाल पुत्र गुरदिता, निवासी गांव कदेहड, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल कदेहड, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम वरडू राम दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम राम लाल दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह किया है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम राम लाल उपनाम वरडू राम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी राम लाल पुत्र गुरदिता, निवासी गांव कदेहड, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल कदेहड के अभिलेख में राम लाल उपनाम वरडू राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 37 / C / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

सुभाष चन्द राणा पुत्र प्यार सिंह, निवासी गांव लाहडू, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी सुभाष चन्द राणा पुत्र प्यार सिंह, निवासी गांव लाहडू, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल लाहडू, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम सुभाष चन्द दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम सुभाष चन्द राणा दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुभाष चन्द राणा उपनाम सुभाष चन्द दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी सुभाष चन्द राणा पुत्र प्यार सिंह, निवासी गांव लाहडू, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त धार के राजस्व महाल लाहडू के अभिलेख में सुभाष चन्द राणा उपनाम सुभाष चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 38 / C / NT / 2025 तारीख पेशी : 05–06–2025

वुधि चन्द राणा पुत्र वन्शी राम, निवासी गांव मक्कड, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी वुधि चन्द राणा पुत्र वन्शी राम, निवासी गांव मक्कड, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त घुठियालता–11 के राजस्व महाल मक्कड़, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम वुधि चन्द व पिता का नाम वन्शी दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम वुधि चन्द राणा व पिता का नाम वन्शी राम दर्ज है, जोकि उसका व उसके पिता का सही नाम है। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम वुधि चन्द राणा उपनाम वुधि चन्द व पिता का नाम वन्शी राम उपनाम वन्शी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 05–06–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी वुधि चन्द राणा पुत्र वन्शी राम, निवासी गांव मक्कड, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त घुठियालता–11 के राजस्व महाल मक्कड के अभिलेख में वुधि चन्द राणा उपनाम वुधि चन्द व पिता का नाम वन्शी राम उपनाम वन्शी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 10–06–2025

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी गांव व डाकघर डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण–पत्र लेने बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके भाई श्री अमर चन्द पुत्र श्री गिरधारी लाल की मृत्यु दिनांक 27–04–1977 को गांव डोहब में हुई है, लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डोहब के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत डोहब के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 10–06–2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

––––––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 10–06–2025

श्रीमती रक्षा देवी पुत्री श्री माधो राम, निवासी गांव डोला, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण–पत्र लेने बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 09–05–1965 को गांव डोला, तहसील शाहपुर में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 10–06–2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 10–06–2025

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रशोतम चन्द, निवासी गांव व डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण–पत्र लेने बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 12–03–1959 को गांव रजोल, तहसील शाहपुर में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजोल के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 10–06–2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि पेशी : 10–06–2025

श्री राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव व डाकघर द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण–पत्र लेने बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 02–02–1982 को गांव द्रमण, तहसील शाहपुर में हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि ग्राम पंचायत मंझग्रा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मंझग्रा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 10–06–2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
21 / RNTK/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	06–06–2025

उर्मिला देवी पुत्री उतम सिंह, निवासी गांव व डाकघर सोलदा, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन–पत्र।

प्रार्थिया उर्मिला देवी ने इस अदालत में आवेदन–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि उनकी जन्म तिथि दिनांक 10–08–1958 है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म तिथि पंजीकरण पत्र दिया है जिसमें प्रार्थीया ने अपनी जन्म तिथि 10–08–1958 दर्शाई है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 10–08–1958 ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06–06–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सोलदा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 07–05–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
20 / RNTK/2025	नाम दुरुस्ती	06–06–2025

रोहित कुमार पुत्र चुनी लाल, निवासी महाल पद्धर, मौजा डोल, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान : नाम दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र।

प्रार्थी रोहित कुमार ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र दिया है क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल पद्धर में रोहित लाल दर्ज है। जबकि तमाम रिकार्ड में रोहित कुमार दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2021–22, महाल पद्धर, स्कूल प्रमाण–पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, हल्फिया ब्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि रोहित लाल उर्फ रोहित कुमार दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06–06–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 07–05–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 10 / 2025 तारीख पेशी : 06–06–2025

श्री भणकु राम पुत्र झोनिया पुत्र लोहारू, निवासी गांव नलोहता, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री भणकु राम पुत्र झोनिया पुत्र लोहारू, निवासी गांव नलोहता, डाकघर बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम वोटर कार्ड, पंचायत रिकार्ड, बच्चों के स्कूल प्रमाण–पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेजों में भणकु राम पुत्र झोनिया पुत्र लोहारू है परन्तु महाल नलोहता, बड़ाग्रां व कंगयोड़ के राजस्व अभिलेख में कनौरू पुत्र झोनिया पुत्र लोहारू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके कनौरू उपनाम भणकु राम पुत्र झोनिया पुत्र लोहारू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06–06–2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08–05–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 11 / 2025 तारीख पेशी : 06–06–2025

श्री लाल मन पुत्र हाच्छू राम पुत्र सौंजू, निवासी गांव नेर, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदक श्री लाल मन पुत्र हाच्छू राम पुत्र सौंजू, निवासी गांव नेर, डाकघर दयोट, तहसील मुलथान, जिला कागड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम आधार कार्ड, पंचायत रिकार्ड, बच्चों के स्कूल प्रमाण–पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेजों में लाल मन पुत्र हाच्छू राम पुत्र सौंजू है परन्तु महाल नेर, सरमाण व संगरेहड के राजस्व अभिलेख में लालू पुत्र हाच्छू राम पुत्र सौजू दर्ज हुआ है, जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके लालू उपनाम लाल मन पुत्र हाच्छू राम पुत्र सौजू दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को राजस्व अभिलेख में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06–06–2025 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08–05–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी / तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 06 / 2025 तारीख दायर : 08–05–2025 तारीख पेशी : 06–06–2025

लायक राम पुत्र ज्ञान चन्द, गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थी ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 08–03–1974 को गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत बड़ाभंगाल के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है व अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी उपरोक्त की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बड़ाभंगाल के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 06–06–2025 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरीश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी / तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 07 / 2025 तारीख दायर : 08–05–2025 तारीख पेशी : 06–06–2025

शीला देवी पुत्री मौजी राम, गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–07–1975 को गांव बड़ा भंगाल, डाकघर बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका पंजीकरण ईलम न होने के कारण ग्राम पंचायत बड़ाभंगाल के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ है, अब दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उपरोक्त की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बड़ाभंगाल के अभिलेख में पंजीकरण करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 06–06–2025 को सुबह 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 / 20

श्री Lobsang Tsultrim s/o Sh. Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, VPO Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Lobsang Tsultrim s/o Sh. Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, VPO Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी daughter Ngawang Norzin d/o Lobsang Tsultrim का जन्म / मृत्यु दिनांक 23–03–2006 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म / मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Ngawang Norzin के जन्म / मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 03–06–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16–04–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 / 20

श्री Lobsang Tsultrim s/o Sh. Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, VPO Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Lobsang Tsultrim s/o Sh. Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, VPO Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी daughter Ngawang Tselah d/o Lobsang Tsultrim का जन्म / मृत्यु दिनांक 23–03–2006 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म / मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Ngawang Tselah के जन्म / मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 03–06–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16–04–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 / 20

श्री Shankar Dass s/o Sh. Choudhary Ram, r/o Village & Post Office Passu, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Shankar Dass s/o Sh. Choudhary Ram, r/o Village & Post Office Passu, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Shankar Dass s/o Choudhary Ram का जन्म दिनांक 07–01–1966 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म / मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16–06–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 NT / 25

श्री Migmar Tsering s/o Tsering, r/o Dal Lake, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Migmar Tsering s/o Tsering, r/o Dal Lake, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म 04–05–1985 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत / नगर निगम में जन्म / मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Migmar Tsering s/o Tsering की जन्म / मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 10–06–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि 04–05–1985 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23–04–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 / 25

श्री Parbhat Singh s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Bhadwal, P.O. Matour, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Parbhat Singh s/o Sh. Dharam Chand, r/o Village Bhadwal, P.O. Matour, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका self Parbhat Singh s/o Shri Dharam Chand का जन्म दिनांक 22–03–1959 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत Mandal में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Parbhat के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16–06–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Oshin Sharma (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Purushottam s/o Sh. Tikal Raj, r/o Durga Bhawan, Near Petrol Pump, Vikas Nagar, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Purushottam s/o Sh. Tikal Raj, r/o Durga Bhawan, Near Petrol Pump, Vikas Nagar, Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of his son namely KRISHAN (DOB 20-09-2011) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth of above mentioned, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 26th May, 2025.

Sd/-

Seal. (OSHIN SHARMA (HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

In the Court of Shri Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.)

Sh. Rajender Singh s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Shahal, P.O. Bhont, Tehsil & District Shimla, H.P.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas, Sh. Rajender Singh s/o Sh. Sant Ram, r/o Village Shahal, P.O. Bhont, Tehsil & District Shimla, H.P. has submitted an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of himself as 15-04-1969 in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Bhont, Shimla, H.P. details are as under :

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Rajender Singh	Self	15-04-1969

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has objection/claim regarding entry of date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth & Death Gram Panchayat Bhont, Shimla, H.P. he/she may file their claims/objections in the Court on or before one month of publication of this notice in Government Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 26-05-2025 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sarupa Rani w/o Sh. Sewa Singh, Ward No. 1, V.P.O. Sihund, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.)-176 056 declare that I have changed my name from Swarup Rani to Sarupa Rani. All concerned may please not.

SARUPA RANI
w/o Sh. Sewa Singh,
Ward No. 1, V.P.O. Sihund,
Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Reena Kumari w/o Sh. Tek Singh, r/o Village Tarour, P.O. Basantpur, Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.) declare that in my daughter's school record my name is wrongly entered as Reena Kanwar. My actual name is Reena Kumari as per my other documents. Please correct my name in her school documents.

REENA KUMARI
w/o Sh. Tek Singh,
r/o Village Tarour, P.O. Basantpur,
Tehsil Sunni, District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Dropti Devi w/o Sh. Shyam Lal, r/o Village Sakori, P.O. Chail, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) declare that my name Draupadi Devi is wrongly entered in my Aadhar Card. My correct name is Dropti Devi. I want to get the correct name Dropti Devi entered in my Aadhar Card. All concerned please may note.

DROPTI DEVI
w/o Sh. Shyam Lal,
r/o Village Sakori, P.O. Chail,
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Reeta w/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Bhararia, P.O. Dharbhog, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed the name of my son from Sammer to Samar. In future my son should be known as Samar. All concerned please may note.

REETA

w/o Sh. Raj Kumar,
r/o Village Bhararia, P.O. Dharbhog,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Surinder Kumar s/o Sh. Kansho Ram, r/o Village Henja, P.O. Bhawarna, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is incorrectly entered as Sikender. That my correct name is Surinder Kumar. Concerned may please note.

SURINDER KUMAR
s/o Sh. Kansho Ram,
r/o Village Henja, P.O. Bhawarna,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanjeev Kumar Guleria s/o Late Sh. Partap Singh, r/o Village Balh, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Sanjeev Kumar to Sanjeev Kumar Guleria for all purposes in future. Please note.

SANJEEV KUMAR GULERIA
s/o Late Sh. Partap Singh,
r/o Village Balh,
Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

CHANGE OF NAME

I, Guddi w/o Sh. Sandesh, r/o Village Kiri, 146, Theog, Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Guddi to Bimla Devi. All concerned please may note.

GUDDI
w/o Sh. Sandesh,
r/o Village Kiri, 146, Theog, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dimple Kumari d/o Sh. Ratan Chand, Village & P.O. Patti, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176 061 hereby declare that I have changed my name from Dimpal Kumari to Dimple Kumari. Note the relevant information.

DIMPLE KUMARI
d/o Sh. Ratan Chand,
Village & P.O. Patti,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kriti Kumari d/o Sh. Ratan Chand, Village & P.O. Patti, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176 061 hereby declare that I have changed my name from Kariti Kumari to Kriti Kumari. Note the relevant information.

KRITI KUMARI
d/o Sh. Ratan Chand,
Village & P.O. Patti,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।